न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2023/138

1. भजन मीना उर्फ बहादुर पुत्र श्री हरफूल मीना उम्र 35 वर्ष निवासी मेहतोनकापुरा, पुलिस थाना कोतवाली जिला करौली राजस्थान हाल आजीवन कारावासी दंडित बंदी केन्द्रीय कारागृह जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 05.04.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान बंदी पैरोल रिहाई नियम 2021 के अन्तर्गत जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि अपीलार्थी भजन मीना उर्फ बहादुर पुत्र श्री हरफूल मीना उम्र 35 वर्ष निवासी मैहतोनकापुरा, पुलिस थाना कोतवाली जिला करौली राजस्थान वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, अपीलार्थी द्वारा प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल अवकाश हेतु आवेदन किया गया था जिस पर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर ने अपीलार्थी को 20 दिवस नियमित पैराल प्रकरण तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (जिला पैरोल समिति जयपुर) को भिजवाया गया, दिनांक 21.09.2022 को जिला पैरोल समिति जयपुर की बैठक आयोजित हुई जिसमें जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2022 द्वारा अपीलार्थी का 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण निरस्त कर दिया गया।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी का कारागृह मे आचरण संतोषप्रद है एवं अपीलार्थी ने 20 दिवस नियमित पैरोल रिहाई हेतु राजस्थान पैरोल नियम 2021 के नियम 10 के तहत पात्रता अर्जित कर ली है, जिला पैरोल समिति द्वारा बिना पूर्ण विचार कर अपीलार्थी के पैरोल प्रकरण को निरस्त कर दिया गया जिसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में डी.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 713/2022 दायर की गयी जिसे दिनांक 04.01.2023 को अपीलार्थी द्वारा विड्रो कर लिया गया, विड्रो के साथ माननीय न्यायालय द्वारा नियमों में मौजूद अलटरनेटीव रैमेडी का उपभोग की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी के 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण पर पुनः विचार कर जिला पैरोल समिति जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2022 को अपास्त फरमाकर अपीलार्थी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा करने के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (प्रभारी अधिकारी न्याय) व अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जयपुर ने कथन

P.T.O.

किया है कि उक्त बंदी द्वारा जेल में सजा भुगते समय पाकिस्तानी बंदी की हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किया है, जिससे दिनांक 10.01.2020 को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का सजा भुगताने के दौरान आचरण संतोषजनक नही रहा है तथा अपीलार्थी द्वारा आजीवन कारावास की आधी सजा मय परिहार के भूगती भी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के उक्त पैरोल प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 21.09.2022 को आयोजित जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति की बैठक में बंदी के पैरोल के सम्बन्ध में पैरोल परामशदात्री समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी का नियमित पैरोल प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया गया जो विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 15 के अनुसार पैरोल स्वीकृति को अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने का अवसर माना जाना चाहिये तथा कैदियों द्वारा पैरोल का अधिकार के रूप में दावा नही किया जावेंगा तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जेल में सजा भूगतते समय पाकिस्तानी बंदी की हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया जो अपीलार्थी के सजा के दौरान अच्छे आचरण को प्रदर्शित नही करता है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा पैरोल प्रार्थना के समय आजीवन कारावास की आधी सजा मय परिहार भूगती भी नही गई है जिससे राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021(16) के तहत अपीलार्थी पैरोल के लिए पात्रता भी नही रखता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर जिला परामर्शदात्री के सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से बंदी भजन मीना का नियमित पैरोल प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/4/2023

संभागीय आयुक्त
जयपुर